15-4-21 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष वकील उपस्थित। वकील प्रार्थी ने विपक्षीगण सं. 2 के विरुद्ध वादिगण क्रमशः मुकदमा एवं संशोधित अनवाद हेतु अवसर चाहा। पत्रावली दि. 29-4-21 को पेश हो।

29-4-21 पत्रावली पेश हुई / बहुलाल पक्षकार उपस्थित / P.O. सा राजकीय कार्य से बाहर है / अवकाश पत्रावली अग्रे आदेशानुसार दिनांक 6-7-21 ... को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

6-7-21 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष वकील उपस्थित। वकील प्रार्थी ने विपक्षी सं. 2 के विरुद्ध वादिगण। क्रमशः मुकदमा एवं संशोधित अनवाद हेतु अवसर चाहा। पत्रावली दि. 15-7-21 को पेश हो।

15-7-21 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष वकील उपस्थित। विपक्षी मैसर्स की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। विपक्षी प्रथम की मृत्यु होने से उसका नाम हटाया जाता है। बहस सुनी गई। दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत निर्णय पत्र दि. 23-6-1982 के अनुसार होना इसका प्रमुख मामला को अपना मजबूत विरुद्ध किया गया। जिस पर प्रतिवादी सहमत है। वादी द्वारा अन्य अवैधानिक के पक्षधार नहीं बनाया है। प्रार्थी का पूर्व मुकदमा मामला अपूर्ण होने का मामला कहीं पास नहीं कर सकते है। सुविधा संतुलन प्रार्थना पत्र में कहा है। ऐसे में प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। मुकदमे के समय के अन्दर फैसला करना है।